

252

कार्यालय भूमि बवाप्स अधिकारी नगर विकास प्रीरयोजनाएँ, जयपुर ।
॥ जयपुर विकास प्राधिकरण भवन ॥

इमांक: भ००.ग००/नविगा/७।

दिनांक:- 29/6/81

निवेदन:- विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के विषयान्वयन हेतु ग्राम गोकुल पुरा तहसील जयपुर भूमि बवाप्स बाबत ।
॥ पृथ्वीराज नगर योजना ॥

मुकदमा नम्बर :- 79/88
-:-:-:-:-:-:-:-:-

व व इ
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

उपरोक्त विषयान्वयन भूमि को बवाप्स हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि बवाप्स अधिनियम 1894/1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1 की धारा 6 । ॥ के तहत इमांक प-6/15/नविगा/1/37 दिनांक 6-1-88 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र दिनांक 7 जुलाई 1988 को कार्या ।

भूमि बवाप्स अधिकारी द्वारा धारा 5-ए के रिपोर्ट राज्य सरकार दो भेजी के उपरान्त सार्व सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि बवाप्स अधिनियम की धारा 6 के आवधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन इमांक प-6/15/नविगा/3/37 दिनांक 28-7-89 का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र जुलाई 31, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया उसमें ग्राम गोकुल पुरा तहसील जयपुर में बवाप्सधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-

मुकद्मा नं. छतरा नं० रक्षा भातेदार/हितदार का नाम
बी-बि

७९/८८	७९/१	०३-११	श्री तिलकराज मगन पुत्र शोकोलाल मगन
	१	०३-१४	सा. जयपुर.
	८२	०६-१४	
	८३	०४-०५	
	८४	१२-१७	
	८८	१४-१२	

मुकद्मा नं. ७९/८८ छतरा नं. ७९/१, १, ८१, ८२, ८३, ८४, ८८ :-

====

धारा ६ के गण्ठ नोटिसिफिकेशन में छतरा नं. ७९/१ रक्षा ३ बी-बा १। बिस्ता, छतरा नं. ८। रक्षा ३ बी-बा १४ बिस्ता, छतरा नं. ८२ रक्षा ६ बी-बा १० बिस्ता, छतरा नं. ८३ रक्षा ४ बी-बा ५ बिस्ता, छतरा नं. ८४ रक्षा १२ बी-बा १७ बिस्ता, छतरा नं. ८८ रक्षा १४ बिस्ता १२ बिस्ता श्राम गोकुलपुरा तामील जयपुर में श्री तिलकराज मगन पुत्र शोकोलाल मगन सा. जयपुर के नाम दर्ज हैं।

केन्द्रीय भूमि अवारिस्ट अधिनियम की धारा ९ व १० के अन्तर्गत भातेदार/हितदार को नोटिस दिनांक २९-४-७१ को तामील छुनिन्दा व राजि. स० डो. छतरा तामील कराये जाने देते जारी किए गए। तामील छुनिन्दा की हल्कीया रिपोर्ट के अनुसार भातेदार/हितदार के पारिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील कराया गया। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार भातेदार ने नोटिस लेने से इंकार किया जो शामिल मिसल है। तत्पश्चात दिनांक ७-५-७१ को नदमारत टाईम्स व्रैर्डनक नवज्योती समाचार पत्र के पाठ्यम से धारा ९ व १० के नोटिस का प्रकाशन कराया गया।

श्री मनदीप सिंह अभिभाषक ने तिलक राज मगन पुत्र शोकोलाल की ओर से वकाततनामा व क्लेम प्रार्थना पत्र दिनांक १७-६-७१ को पेश किया जिसमें मुआवजे की मांग निम्न प्रकार से की गई है :-

अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि इस क्षेत्र को भूमि जिसमें के अन्तर्गत यादि आबादी की मानली गई है तो उसका जीसत मुआवजा कम से कम २००/- रुपये प्रति बी-बा से कम नहीं हो सकता और यादि इस तथ्य पर आंकड़ा किया जाये तो जीपृष्ठा की संदर्भित भूमियों का मुआवजा २०० करोड़ रुपया से भी अधिक, अलावा भूमि पर स्थित स्ट्रैकर्स ऐड-पौधे इत्यादि के मुआवजा राशि के देय होगा। साथ ही इसके विकास पर ट्रियल करने के जीतरिकता तौर पर ८०००/- करोड़ रुपया और यादियें।

प्रार्थी की भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की पुस्तकोंतर नगर बौद्धना में छतरा नम्बर ७९/१ रक्षा ३ बी-बा १। बिस्ता, छतरा नम्बर ८। रक्षा ३ बी-बा १४ बिस्ता छतरा नं. ८२ रक्षा १६ बी-बा १८ बिस्ता, छतरा नम्बर ८३ रक्षा ४ बी-बा ५ बिस्ता, छतरा नं. ८४ रक्षा १५ बी-बा १२ बिल प्लान रक्षा ५५ बी-बा १७ बिस्ता के मुआवजे की राशियाँ उपर पर स्थित स्ट्रैकर, पैड-पौधे आदि का मुआवजा राशि पानेका अधिकारी हैं। तथा जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त भूमि के साथ वाली भूमि व उक्त भूमि पर आवासीय प्रयोगार्थी देते सन् १९४४ में पैशांती नगर में कम से कम ३५०/- रुपये प्रति वर्गगज की ८८ से भूमि का आवंटन करने को दर निरिष्यत की गई थी। जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमानुसार उक्त भूमि के आस

पास की भूमि का आवासीय प्रयोग हेतु काम में लेने पर 90/- रुपये प्रति वर्ग गज विकास द्वालक लेना तथा किया गया है। इसके साथ ही हुल भूमि का 60 प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है। इस प्रकार भूमि की कीमत निम्न प्रकार तथा होगी जो कि प्रतिवर्ग गज न्यूनतम दर 300/- से 90 प्रति वर्ग गज

विकास द्वालक कम करनेपर 90/- से प्रति वर्ग गज

260/- से प्रति वर्ग गज

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815 वर्गगज 260/- रुपये प्रति वर्ग गज से 4,71,900 रुपये प्रति बीघा होती है। तथा प्रार्थी उक्त राशि पाने का अधिकारी है। भूमि छतरा नं. 79/1 रक्का 3 बीघा 11 बिस्ता, छतरा नं. 81 रक्का 3 बीघा 14 बिस्ता, छतरा नं. 82 रक्का 16 बीघा 18 बिस्ता, छतरा नम्बर 83 रक्का 4 बीघा 5 बिस्ता छतरा नं. 84 रक्का 12 बीघा 27 बिस्ता, व छतरा नं. 88 रक्का 14 बीघा 12 बिस्ता हुल रक्का 45 बीघा 17 बिस्ता हुल रक्का 138696 वर्ग गज में है 90 प्रतिशत 55,476 वर्ग गज द्वालक कम करने पर 83,216 वर्ग गज रहते हैं जिसकी बाजार कीमत दर 260/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से रुपये 2,16,36,160/- पाने का अधिकारी है :-

1-	हुल भूमि का मुआवजा-	2,16,35,160.00
2-	एक हुआँ छ.नं. 84 में तथा एक हुआँ छ.नं. 85 में स्थित मय स्टार्टर गुपटी तथा एक मौटर 10 ढार्ट पावर मय पाइप फिटिंग व बिजली की फिटिंग	3,00,000.00
	मौटर स्टार्टर, लाडे सात ढार्ट पावर मौटर मय बिजली फिटिंग और पाईप फिटिंग--	3,00,000.00
3-	होदी 12 क्षेत्रफल 4x4x3 गहराई 2 कुट प्रत्येक होदी 2,000/-	24,000.00
4-	दाटर टैक जिसका क्षेत्रफल 13.5x14.5 कुड तथा गहराई 8 कुट का उन्डेसन व कुट जिसकी कीमत रुपया 1,00,000/-	1,00,000.00
5.	होद का क्षेत्रफल 33.5x32 गहराई 2 कुट आउन्डेसन व कुट 5 कुट पौड़ाई 5 तकी कीमत 1,50,000/-	1,50,000.00
6.	पाईप लाईन अन्डर ग्राउन्ड 1557 कुट दर 10 रुपये प्रति कुट	15,570.00
7.	जोखाम, क्लो, बरामदा, जिसका क्षेत्रफल 2,669 वर्ग कुट 150/- प्रति कुट	4,00,000.00
8.	होदी 4000 कुट जिसकी कीमत 10/- प्रति कुट	40,000.00
9.	मुले 2000 प्रति वर्ग प्रत्येक मुले 6/- के डिटाल ले 6x2000x10	1,20,000.00
10.	भूमि को समतल कराने पर द्वय	2,00,000.00

पेंड-पौधे :-


— — —

1- प्रार्थी की भूमि पर 15 पेड
नीम के स्थित है जो कि 15
वर्ष पुराने है प्रांत नीम की
कीमत , 3,000/- रु. है । 45,000.00

2- लेण्ड की 20 पेड जो कि 25
वर्ष पुराने है जिनकी लूम पातड़ों
व छड़ी से उभाड प्रत्येक छूटा है
आय 150 रुपये अर्थात् सह वर्ष
में 300 तो रुपये जिस पर दद्य
60/- प्रत्येक छूटा से प्रांत वर्ष आय
 $240 \times 20 \times 10$ 48,000.00

3- बहाल के पेड 10 पेड जो कि 32
वर्ष पुराने है जिससे लूम पातड़ों
व छड़ी प्रत्येक पेड से 200/-आय
होती है व प्रत्येक पेड पर 40/-
दद्य होता है। $150 \times 10 \times 10$ 16,000.00

2,33,95,000.00



 श्रीम श्रीमान्त्र अधिकारी
 बगर विकास योजनाबंदी
 जयपुर

प्रार्थी की केन्द्रीय भूमि अपार्टमेंट अधिनियम 1894 & 1934 के अन्तर्गत
 धारा 23(1)(i) के अनुसार फिल्मक 7 जुलाई 1988 के अवार्ड की तिथि तक तक
 12 ल की पारिषक दर से भूमि की मुआवजा राशियां अंतिरक्त राशि पाने
 का अधिकारी है। केन्द्रीय भूमि अपार्टमेंट अधिनियम की धारा 23(2)(i) के अन्तर्गत
 भूमि की कीमत पर 30 प्रतिशत अनोखा वर्ष अपार्टमेंट चार्ज पाने का अधिकारी
 है तथा अपार्टमेंट के पश्चात अर्थात् केन्द्रीय भूमि अपार्टमेंट अधिनियम को धारा
 23 सं 34 के अनुसार 7 प्रतिशत सह वर्ष तक तथा सह वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत
 द्वारा द्व्याव भूमितान दिलीय तक पाने का अधिकारी है। केन्द्रीय भूमि अपार्टमेंट
 अधिनियम माननीय उच्च-स्तरीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय
 राजस्थान द्वाव जयपुर में भूमि की अपार्टमेंट सम्बन्ध में राज्य सरकार को स्वं
 भूमि अपार्टमेंट अधिकारी को निर्देश दिये गये। कि जिस खातेदार की भूमि को
 अपार्टमेंट किया जाए उसका निवास भूखण्ड व द्व्यावस्था बदलने के द्वारा निर्णय
 प्राईज पर अंपटन किया जावे। जैसा कि भूवर्षीय भूमि अपार्टमेंट अधिकारी नगर
 विकास परियोजनाएं जयपुर नगर विकास न्यास, जयपुर विकास प्रार्थी

द्वारा लाल कोठी योजना स्वं मालवीय नगर योजना व सलंय मार्केट जयपुर में
जिन छातेदारों की भूमि को अपा पा किया है उन्हें सक ढार , पन्द्रह ती वर्ग
गज के भुजण्ड और ट्यूक्साय करने के कुछ देश दुकान दी गई है अतः प्रार्थी को
नियास हेतु उक्त योजना में 1500 वर्ग गज का भुजण्ड व ट्यूक्साय करने हेतु
सक दुकान रिञ्च प्राईज पर आंवटन कि जावे ।

अभिभाषक श्री मनदीप सिंह ने दिनांक 29.6.91 को दस्तावेज सूची
के अनुसार नक्त ज्या बन्दी अल, नक्त गिरदावरी, नक्त जमीन व स्ट्रेक्चर,
, नक्त एम्फ्री, नक्त सील्स्ट्री, नक्त सील्स्ट्री, नक्त वर्षेस्ट्री, नक्त सील्स्ट्री,
नक्त रोजस्ट्री, तथा विक्रय पत्र दिनांक 20 सीतम्बर 1988 को श्री मती
शायकी देवी धूम पत्नी श्री गोरी शेंकर जाति ब्राह्मण नियासी कर्त्ता सांगनेर
ने श्रीमती पिमला देवी पत्नी नेंदुमार व श्रीमती क्षमला देवी पत्नी गोपाल लाल
शर्मा जाति ब्राह्मण व श्रीमती उषा देवी पत्नी मणीकान्त त्रिवेदी जाति ब्राह्मण
व श्रीमती छज्ज्ञ=देवी=कस्त्री संतोष देवी पत्नी श्री कृष्ण शर्मा व श्रवण लुमा र पुत्र
शिवदत्त त्रिवेदी जाति ब्राह्मण नियासी मकान नं. 672 नगरों रो बाजार जयपुर
जो विक्रय पत्र में क्रेतागण शब्द से सम्बोधित को गई है ग्राम गोलेयावास अन्तर्गत
तहसील सांगनेर जिला जयपुर में कृष्ण भूमि छतरा नं. 460/584 रक्का ०.३४ सड़
पक्की स्थित है जिसे मुद्रितक तथा ३०००/-रु में बेचा जाया गया है ।

~~क्रम संख्या अधिकारी~~ ६
 श्री तुरेन्द्र लुमा र पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जाट की भूमि ग्राम ठीकारिया अंतर्गत
तहसील सांगनेर जिला जयपुर छेत्र में कृष्ण भूमि छतरा नं. 206 रक्का ५ बीघा जिसका
नया छतरा नं. 499 रक्का ०.९७ हैदरायर पक्की है इस कृष्ण भूमि में हि ।/४ की
छातेदारी हुज्ज विक्रेता स्वंय के नाम है । दिनांक 7-9-89 को विक्रय पत्र द्वारा रु. ५५५
९०,०००/-रुपये में देवना बताया गया है । तथा विक्रय पत्र दिनांक 23 सितम्बर 89
श्रीमती ज्ञातिता देवी पत्नी मोहनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण। में भूमि छतरा नं. 227/
रक्का ७ बीघा स्थित है पैथाइश करने पर इसका रक्का ७ बीघा से कम है । यह भूमि
ग्राम माह्यपुरा तहसील सांगनेर में अम्बेर रोड के उत्तरी भाग में स्थित है । उक्त
भूमि में ।/४ हैदरायर पक्की गया है जिसे दिनांक 21-9-89 को ।,३९,९९९/-रुपये
में बेचा जाया गया है । तथा उक्त विक्रय पत्र की कोठी प्रीत को प्रमाणित
कराया गया है स्वं सक विक्रय पत्र की कोठी प्रीत प्रमाणित की जो रामनारायण
पुत्र शोरीलाल जाति ब्राह्मण की है जिसमें भूमि छतरा नं. १२४ रक्का । बीघा १५
बिल्या, किस्म बारानी ग्राम शयोपुरा तहसील सांगनेर में स्थित है तथा भूमि छतरा
नं. १२४/१५।० किल्म बासीन- बारानी दोयम रक्का ।९ बिल्या हुल रक्का २ बीघा
१४ बीघा पक्का है । उक्त कृष्ण भूमि मय कोठी, मुड्ता नाल आदि में दि. ।/४

.....

का बेचान दिनांक 1-2-91 बताया गया है तथा एक और विक्रय पत्र श्री प्रेमचन्द्र गोलठा पुत्र उपराव गोलठा की भूमि खसरा नं. 1129/284। रकवा 0.24 हेक्टर भूमि मुबालिक रूपया 1,44,000/-रुपये दिनांक 21-6-90 को बेचान बताया गया है तथा श्रीमती संगीता पत्नी विक्रय कुमार के विक्रय पत्र दिनांक 22-12-90 में भूमि खसरा नं. 523 रकवा 0.92 हेक्टर ग्राम नरसिंहपुरा तहसील सांगानेर में अपना हि. 1/4 का बेचान 16.655/- रुपये अंकित किया गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री केऽष्टी० मिश्रा ने खातेदार श्री तिलकराज मगन पुत्र शोकीलाल मगन ने जो मुआवजा राशि की मांग की है के संबंध में कोई लिखित आपत्ति प्रत्युत नहीं की है लेकिन घौषिक रूप से कहा कि दावेदारान द्वारा जो क्लेम पेश किया गया है और उसमें जो आपत्ति डाइर्झ है वह आपत्तियों नियमानुसार धारा 4 के नोटिफिकेशन के बाद सर्व धारा 5 से की आपत्तियों की सुनवाई की विधिक अवधि में प्रत्युत करनी चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा जो मुआवजे की मांग की गई थी है वह बहुत अधिक है तथा भूमि पर त्यित ट्रैक्चर आदि का तक्षमीना किसी रजिस्ट्रेशनल्यूवर से प्रमोन्ति कराकर प्रत्युत नहीं किया है। तथा मनमाने तौर पर उक्त क्लेम पेश किया है। खातेदार द्वारा जो भूमि के विक्रय पत्र पेश किस है के किसी भी तरह से खातेदार के हक में नहीं है क्योंकि दिनांक 22 लितम्बर 88 को विक्रय पत्र में भूमि का बेचान 33000/-रुपया बताया गया, ये बेचान उक्त भूमि के एक छोटे से मांग का है और कृषि उपयोग के लिए क्रय किया जाना प्रतीत नहीं होता है तथा अन्य रजिस्ट्रियों वर्ष 1988 के बाद की है जो मान्य नहीं है तथा जो भूमि अवाप्त की जा रही है उसकी राशि 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से अधिक नहीं है। दावेदार द्वारा लिखित बहस जो पेश की गई है उसके क्रम में लेख है कि भूमि अवाप्त की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम में यह स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अनिवार्य अवाप्ति में माना गया है तथा अन्य चिन्ह कानूनी है। दावेदार द्वारा जो भूमि आवास ढेतु याही गई है वह दिया गया संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वीराज नगर योजना पर इसका खुरा प्रमाण पड़ेगा। दूसरे जविष्ठा के अभिभाषक श्री केऽष्टी० मिश्रा के इस कथन से सहमत है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1)(ii) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात में तार्दजनिक नोटिस भी तामील कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील, पंचायत सभिति, नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये गये व यत्वा कराये गये जो दिनांक 29-4-91 को जारी किये गये।

मुआवजा निर्धारण :-

जैदा तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय

विकास स्वं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक ४-६।।१५ जीवजा/८७ दिनांक १-१-८९ द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्क क्षेट्री का गठन शासन सीधव राजस्व विभाग की अधिकाता में किया गया था लेकिन उक्त क्षेट्री द्वारा पृथ्वी राज नगर योजना के २२ ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ३५३-३५५ दिनांक ११-२-९१ के द्वारा शासन सीधव नगरीय विकास स्वं आवासन विभाग जयपुर तथा आयुक्त जीवप्रा स्वं सीधव जीवप्रा को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित क्षेट्री से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रियों इति पूर्ण करा ली जायें । इसके उपरान्त समय-समय पर आयोजित मीटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया लेकिन क्षेट्री द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वी राज नगर योजना के २२ ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी छातेदार को बुलाकर नेगोशिएशन नहीं किया गया है ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो उन्नीष्य छूष्य भूमि का मुआवजा निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किया है उनमें छूष्य भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा ४ के गणट नोटिफिकेशन वर्ष ७-७-८८ को हुआ था इसलिए विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिमेज में ७ जुलाई १९८८ को विभिन्न उप पंजीयकों के घों पृथ्वी राज नगर योजना के द्वेष्ट्री में भूमियों की रीजस्ट्रेशन की क्षा दर थी उस पर विवार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जैहा तक उपरोक्त छठरा नम्बरान के खातेदार/सिलसलाल के मुआवजे निर्धारण का प्रश्न है छातेदार द्वारा भूमि के मुआवजे की राशि देना किसी आधार के तथा मनमाने तौर पर याही है तथा ना ही किसी रीजस्टर्ड वेल्यूवर से स्ट्रेक्चर की प्रमाणित कराया है अतः छातेदार को भूमि के मुआवजे की राशि २०००/- प्रति बीघा की दर से दी जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है ।

लेकिन प्रालौटिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जीवप्रा जिसके लिए भूमि अपाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया जीवप्रा के सीधव ने पत्र क्रमांक टी.डी.आर/१।/३३६ दिनांक ५-६-९१ द्वारा इस सम्बन्ध में प्रृष्ठित किया है कि धारा ४ के गणट नोटिफिकेशन के सम्म ग्राम गोकुलपुरा में २०,०००/- ल्यप्ते प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का रीजस्ट्रेशन हुआ था इत्तेज जैहा तक इनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर गोप्ता है ।

इन्हें इस संबंध में उप पंजीयक स्वं तहसीलदार तहसील जयपुर के घों ते अपने

लार पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गण्ठ नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार, जिवाला [पृथम] ने अपने द्वूओं नोट दिनांक 8-5-७१ द्वारा ग्राम गोद्वालपुर तहसील जयपुर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ज्ञान की विवरण दर यही बताई है।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी, इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि का मुआवजा राशि 29000/- स्प्रॉति बीघा की दर से अपाई जारी किये गये थे ऐसे जिनमा अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है। जिवाला के अभिभावक ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर भौखिक रूप से यह निवेदन किया कि योद्धा मुआवजा राशि 24,000/- स्प्रॉति बीघा की दर से तय की जाती है तो जिवाला को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 29000/- स्प्रॉति बीघा की दर से अपाई पारित किए गये हैं।

अतः इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 29000/- स्प्रॉति बीघा की दर से दिया जाना अचित मानते हैं स्वं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गण्ठ नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

केन्द्रीय भूमि अपाई अधिनियम के अन्तर्गत अपाई पारित करने के लिए 2 वर्ष की समयावधि नियत है।

~~जैवा तक पेड़-बीधे, कुरं, सड़के, स्वं भूमि पर ले अन्य स्ट्रैक्चर का प्रश्न है जातेदा राज्य द्वारा कोई तकनीना पेश किया गया और नां ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तकनीने पेश किये गये हैं ऐसी स्थिति में स्ट्रैक्चर छाद कोई हो तो उसके मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है जिसका निर्धारण। बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनीकी रूप से अनुमोदित तकनीने प्राप्त होने पर विवार करके नियमानुसार निर्धारण। किया जायेगा।~~

हम इस भूमि का मुआवजा का निर्धारण। तो 29000/- स्प्रॉति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक तंबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा। मुआवजे का निर्धारण पौरीशिष्ट "स" के अनुसार जो इस अपाई का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अपाई अधिनियम की धारा 23(1)-स् 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत से लियायम स्वं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण पौरीशिष्ट "स" में मुआवजे के साथ किया गया है।

अतिरिक्त निषेक पृथम स्वं सहम अधिकारी नगर भूमि स्वं भयन कर दिया ने अपने पत्र क्रमांक २१८ दिनांक ३१-५-७१ द्वारा इस कार्यालय को सुनियत किया है।



~~जैवा अपाई अधिनियम
नगर विकास विभाग
जयपुर~~

कि पुष्पी राज नगर योजना के तमस्त 22 ग्राम जयपुर/ब्रेर नगर संचयन सीमा में
सीमावैलत है यद्यं अल्सर अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन इन्होंने यह सूचना
नहीं दी है कि अल्सर अधिनियम की अरा 10/31 को अधिसूचना प्रकाशित करवा
दी है अध्या नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवार्पण अधिनियम के
उन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

अतः यह अवार्ड आज ~~दिनांक 29-6-91~~ को पारित कर राज्य सरकार को
अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

~~भूमि अवार्पण अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर
भूमि अवार्पण अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं
जयपुर~~

संलग्न : परीक्षण श " चक्रा तालिका :



राज्य सहार के परीक्षण क्रमांक 6(15) नं ४६३/४२
पार्ट दिनांक 31-7-91 को ३२३ अवार्ड
मानुषोद्धार होकर इस लायोलमें को
प्राप्त हुआ। आज दिनांक 31-7-91 को
अपार्ट सर इजलाह विभित अर
शोमल मिलल किया गया।

~~भूमि अवार्पण अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं
जयपुर~~

परिवार "ए" कमा राजिका नंबर :- काशीता वाल उल्लेख कम्पनी

क्र. सं. १० लोदा०/लिंदा० ८८ नाम ७०००० रुपया ग्राही की दर अधिकारीका राजि श्री लिंदा० राजि बुल राजि फि. फि.

१०००००/- १२५ ३०५ १०००००/- १२५ ३०५
कमा राजिका

१. ३७/८८ रेडक राज मण पुर शोलोलाल मण ला. कम्पनी ।	७९/१ ३-११ ८१ ३-१४ ८२ ५-१९ ८३ ५-०५ ११,००,५००/- ३,९३,६१३/- ८४ १२-१७ ८५ १४-१२ -- ५५-१७	३,३०,१२५/- १८,२४,१३३-००
--	--	-------------------------

स्तोत्र नोट:- १. लोटिकायम ३८८ काल्पना ६ पर मुझाका राजि पर दिया गया है ।

२. अधिकारीका राजि १२५ की गमा आरा ५५-१७ के बाट लिंदा० ७ कुलाह० १९८८ से २९-६-१९९१ तक पर की

श्रीम अर्पणा अधिकारी,
वर्ष विकास वॉर्क्स, कम्पनी ।